फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री शंकरलाल बनाम श्री कुलदीप

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 30/22 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई।
	दिनांक : 13.09.2022 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 1028/903, 1154/856, 1155/857, 1156/859, 1157/862 किता 5 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 आगामी आदेश तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाए रखे।** विपक्षीगण को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 06.10.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली 06/10/22 ... वादी / प्रतिवादी उप. ... के लिये मौका चाहते है। अतः ... अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/10 ... को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:36:16 IST
Reason: SelfAttested

20/10/22 पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/11/22 को पेश हो।

22/11/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप०। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/01/23 को पेश हो।

25/11/22
पत्रावली अधिवक्ता विपक्षी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रा.पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई के प्रा.पत्र का जवाब मय दस्तावेज पेश किये, शा.फा. रहे। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 16/12/22 को पेश हो।

15/12/22
पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र तलबी मय विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। मूल वाद आज दिनांक को विड्रो किया जाने से अब इस पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य [illegible] कार्यवाही नहीं चाहते नहीं है। अब प्रार्थी [illegible] ड्रोप किया जाता से प्रकरण [illegible] निषेधाज्ञा है। पूर्व में [illegible] हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

2 [illegible]
[illegible]

Pd. by me
15

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:36:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट [illegible] [illegible]पली